



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

29
OFFICE OF THE
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3640
Dated 30/5/12

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए

Form to be filled by Participant

नाम Name	श्री नरसिंह एच श्री एम्प्लोयीकारो (पुष्पा)
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	श्री डीमल वेल फेडर (एसो) शजि हरीनगर विलेज पार्ट I, लोभविहार एकक C, E, B, D, G, M,
वर्तमान स्थिति Present Position	श्री डीमल यूज
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	011 6660201, 9818148554, 9350291919
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	C-5, गली नं. 5, हरीनगर एम्प्लोयी कारो पार्ट I चण्डपुर नई दिल्ली - 110044
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	29-5-2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

Residents Welfare Association (Regd.)

Hari Nagar Ext. (Sourabh Vihar), Jaitpur Road,
Badarpur, New Delhi-110044

आवासीय सुधार समिति

Registration No.S-15369

कार्यालय:- बी-13-14,
फोन नं. 9350291919
01126669540

हरी नगर विस्तार (सौरभ विहार) जैतपुर रोड
बदरपुर, नई दिल्ली-110044

Ref. No.

Dated 29/5/2012

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई. एन.ए.
नई दिल्ली-110023


विषय: उक्त ब्लॉक M.B.S.D.G. को "ओ" जोन से आवासीय जोन में बदलने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त एसो0 के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर वार्ड सं0 201 ब्लॉक एन अमर मार्केट में आवासीय परिसर लगभग 98 प्रतिशत बन चुके हैं तथा 2 प्रतिशत बांकी हैं तथा समय समय पर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने उक्त ब्लॉक को 17.09.2008 में अस्थाई प्रमाण पत्र नं0. 8.55 कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गाँधी के द्वारा दिया जा चुका है। हम सभी ब्लॉक वासीयों को अपने मकान बनाने एवं मरम्मत कराने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि अचानक हमारी कालौनी को 08.03.2010 से "ओ" जोन में डाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कालौनी वासी ना ही मकान बनवा पा रहे हैं तथा न ही मरम्मत करवा पा रहे हैं कालौनी वासियों के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाईयां पैदा हो रही हैं।

अतः उपरोक्त एसो0 के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि हमारे क्षेत्र को "ओ" जोन से निकाल कर आवासीय जोन में डाला जाय एवं मकान बनाने व मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान की जाय, उपरोक्त एसो0 आपकी आभारी रहेगी।

धन्यवाद!



रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन (रजि)
हरी नगर विस्तार सौरभ विहार, जैतपुर रोड बदरपुर
नई दिल्ली 44

Provisional



of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/

Dated : 17/09/2008

It is certified that the residents of *Hari Nagar Extn. Block - M, B, C, D & G*.....
unauthorised colony having Regd. number *855*....., represented through
Sh/Ms. *Devender Sharma*.....
(President/Secretary) of the *Vikash Sangthan*..... Society Ltd. (registered
under the Society Registration Act, 1861) having registration number *S-45526/2003*
have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of
unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No.
S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452
dated the 16th June, 2008, and, thus *Hari Nagar Extn. Block M, B, C, D & G*.....
unauthorised colony is provisionally regularized *Saurabh Vihar Badarpur,*
New Delhi - 44

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital

Territory of Delhi

Madhukar
(MADHUKAR)

Joint Secretary (UC)

RK

RAJ KUMAR CHAUHAN
Urban Development Minister
Govt. of NCT of Delhi

To,

Sh/Ms. *Devender Sharma*



श्रीमती शिखा साह

(निगम पार्षद)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
वार्ड सं० 201, जैतपुर

कार्यालय :

F-15, हरिनगर विस्तार पार्ट-III

हर्ष विहार, बदरपुर

नई दिल्ली-110044

फोन : 26660201, 9818148554

क्रमांक 23/05/12

दिनांक 29/05/2012

सेवा में,

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,

दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन,

आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

महोदय,

दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर नगर निगम वार्ड सं.201 एवं मीठापुर नगर निगम वार्ड सं.202 के सभी गाँवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को दिनांक 08 मार्च 2010 को ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। इससे पूर्व ये क्षेत्र रेजिडेंशियल - जोन के अंतर्गत आते थे। ओ जोन में सम्मिलित हो जाने के कारण गाँवों, अनधिकृत कॉलोनियों, सरकार द्वारा बसाई गई पुनर्वास कॉलोनियों तथा नियमित कॉलोनियों में भी न तो मकानों में मरम्मत कराई जा सकती है और न ही यहाँ के निवासी मकान आदि का निर्माण कर सकते हैं।

इन दोनों वार्डों के गाँवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 30 हजार मकान बने हुए हैं और लगभग 2 लाख लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि जैतपुर नगर निगम वार्ड सं.201 एवं मीठापुर नगर निगम वार्ड सं.202 की सभी कॉलोनियों एवं गाँवों को ओ-जोन से निकालकर पहले की तरह रेजिडेंशियल-जोन में सम्मिलित करवाने की कृपा करें। हम आपके अभारी रहेंगे।

सधन्यवाद।


भवदीय
श्रीमति शिखा साह
निगम पार्षद

एम० ब्लॉक विकास संगठन (पंजी०)
सौरभ विहार, नई दिल्ली-110044



देवेन्द्र शर्मा (प्रधान)

फोन:- 9999352267

मन्तान सिंह (महासचिव)

फोन:-26665458

कार्यालय : एम-171, सौरभ
विहार, जैतपुर रोड,
नई दिल्ली-44

पत्रांक:-.....

दिनांक:-...29/5/19...

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई. एन.ए.
नई दिल्ली-110023

विषय: उक्त ब्लॉक ~~एम० ब्लॉक~~ को "ओ" जोन से आवासीय जोन में बदलने के संबंध में।
बी, सी, डी, जी

महोदय,

उपरोक्त एसो० के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर वार्ड सं० 201 ब्लॉक एन अमर मार्केट में आवासीय परिसर लगभग 98 प्रतिशत बन चुके हैं तथा 2 प्रतिशत बांकी हैं तथा समय समय पर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने उक्त ब्लॉक को 17.09.2008 में अस्थाई प्रमाण पत्र नं० 855 कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गॉंधी के द्वारा दिया जा चुका है। हम सभी ब्लॉक वासीयों को अपने मकान बनाने एवं मरम्मत कराने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि अचानक हमारी कालौनी को 08.03.2010 से "ओ" जोन में डाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कालौनी वासी ना ही मकान बनवा पा रहे हैं तथा न ही मरम्मत करवा पा रहे हैं कालौनी वासियों के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाईयां पैदा हो रही हैं।

अतः उपरोक्त एसो० के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि हमारे क्षेत्र को "ओ" जोन से निकाल कर आवासीय जोन में डाला जाय एवं मकान बनाने व मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान की जाय, उपरोक्त एसो० आपकी आभारी रहेगी।

धन्यवाद!

प्रार्थी

देवेन्द्र शर्मा
अध्यक्ष

एम० ब्लॉक विकास संगठन (रजि)
सौरभ विहार, नई दिल्ली 44

प्रधान

एम० ब्लॉक विकास संगठन
कार्यालय एम-171, सौरभ विहार
नई दिल्ली-44

Residents Welfare Association (Regd.)

Hari Nagar Ext. (Sourabh Vihar), Jaitpur Road,
Badarpur, New Delhi-110044

आवासीय सुधार समिति

Registration No.S-15369

कार्यालय:-बै-13-14,
फोन नं. 9350291919
011-26669540

हरी नगर विस्तार (सौरभ विहार) जैतपुर रोड
बदरपुर, नई दिल्ली-110044

Ref. No.

Dated ...29/5/12.....

सेवा में,

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आ. एन.ए.
नई दिल्ली-1100 3

विषय: उक्त ब्लॉक MBCD/G को "ओ" जोन से आवासीय जोन में बदलने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त एसो0 के माध्यम से आपके संज्ञान में लाया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर वार्ड सं0 201 ब्लॉक एन आर मार्केट में आवासीय परिसर लगभग 98 प्रतिशत बन चुके हैं तथा 2 प्रतिशत बांकी हैं तथा समय समय पर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने उक्त ब्लॉक को 17.09.2008 में अस्थाई प्रमाण पत्र नं0. 855 कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गौंधी के द्वारा दिया जा चुका है। हम सभी ब्लॉक वासीयों को अपने मकान बनाने एवं मरम्मत कराने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि अचानक हमारी कालौनी को 08.03.2010 से "ओ" जोन में डाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कालौनी वासी ना ही मकान बनवा पा रहे हैं तथा न ही मरम्मत करवा पा रहे हैं कालौनी वासियों के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाईयां पैदा हो रही हैं।

अतः उपरोक्त एसो0 के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि हमारे क्षेत्र को "ओ" जोन से निकाल कर आवासीय जोन में डाला जाय एवं मकान बनाने व मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान की जाय, उपरोक्त एसो0 आपकी आभारी रहेगी।

धन्यवाद!

प्रार्थी



रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन (रिजि)
हरी नगर विस्तार सौरभ विहार, जैतपुर रोड बदरपुर
नई दिल्ली 44